



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224773
CG-DL-E-29012021-224773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 373]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 407(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

तहसील- पचपदरा		अनुसूची जिला-बाडमेर		राज्य-राजस्थान	
क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न0	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कलावा	400	00	07	20
		401	00	04	82
		426	00	32	57
		427	00	01	37
		434	00	09	18
		480	00	12	73
		807/470	00	03	79
		805/468	00	02	89
		804/469	00	17	85
		861/475	00	13	00
		863/475	00	13	00
		860/475	00	13	00
		502	00	29	48
		कुल	01	60	88
		2	तिलवाडा	905/338	00
315					
315/44	00			06	45
337/315					
491/316	00			12	99
484/326	00			04	23
475/326	00			12	64
929/326	00			13	00
472/326	00			07	92
833/364	00			34	46
853/369	00			22	11
852/369	00			22	21
249	00			56	67
513/234	00			17	89
524/234	00			14	72
798/234	00			16	14
455/234	00			10	99
कुल	02			74	60

क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे न०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	वरिया बरेचा	333/125	00	04	15
		कुल	00	04	15
4	पनोतरी नाडी	670	00	18	96
		673	00	01	00
		कुल	00	19	96

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 407(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE

TEHSIL : Pachpadra

DISTRICT: Barmer

STATE: RAJASTHAN

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kalawa	400	00	07	20
		401	00	04	82
		426	00	32	57
		427	00	01	37
		434	00	09	18
		480	00	12	73
		807/470	00	03	79
		805/468	00	02	89
		804/469	00	17	85
		861/475	00	13	00

		863/475	00	13	00
		860/475	00	13	00
		502	00	29	48
		Total	01	60	88
2	Tilwada	905/338	00	22	18
		315 315/44 337/315	00	06	45
		491/316	00	12	99
		484/326	00	04	23
		475/326	00	12	64
		929/326	00	13	00
		472/326	00	07	92
		833/364	00	34	46
		853/369	00	22	11
		852/369	00	22	21
		249	00	56	67
		513/234	00	17	89
		524/234	00	14	72
		798/234	00	16	14
		455/234	00	10	99
		Total	02	74	60
3	Variya Varecha	333/125	00	04	15
		Total	00	04	15
4	Panotri Nadi	670	00	18	96
		673	00	01	00
		Total	00	19	96

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 408(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन परियोजना), अतिरिक्त निदेशक, परियोजना राजस्थान रिफाइनरी, बाड़मेर, श्री जसनाथ हाउस, वार्ड संख्या 42, बलदेव नगर, सरस दुग्ध डेयरी के पीछे, विश्वोई हॉस्पिटल के पास, बालोतरा-344022 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील-सिणधरी

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे न०	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दाखां	407	00	18	79
		647	00	12	53
		कुल	00	31	32
2	धनवा	370	00	16	04
		370/1			
		373	00	03	10
		372	00	03	28
		कुल	00	22	42
3	जूना मीठा खेड़ा	399	00	01	08
		476	00	08	58
		629	00	08	82
		कुल	00	18	48

[फा. स. आर-11025(15)/11/2020-ओ॰आर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 408(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority (Barmer Palanpur Pipeline Project), Additional Director, Project Rajasthan Refinery Barmer, Shri Jasnath House, Ward No 42, Baldev Nagar, Behind Saras Milk Dairy, Near Vishnoi Hospital, Balotra-344022

SCHEDULE

TEHSIL : SINDHARI

DISTRICT: BARMER

STATE: RAJASTHAN

Sl.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dakha	407	00	18	79
		647	00	12	53
		Total	00	31	32
2	Dhanwa	370	00	16	04
		370/1			
		373	00	03	10
		372	00	03	28
		Total	00	22	42
3	Joona Meetha Kheda	399	00	01	08
		476	00	08	58
		629	00	08	82
		Total	00	18	48

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.